न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस 2021/439 182/21

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :–

1) सक सिंह पुत्र उमेदसिंह

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1) बाबूसिंह पुत्र सुजान सिंह
2) मुकेश पुत्र उदयसिंह
3) राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री सक सिंह स्वंय वादी।
2..श्री बाबूसिंह प्रतिवादीगण
मुकेश
तहसीलदार पचपदरा

निर्णय

दिनांक :–

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत ~~खसरा~~ खाता नं 117 रकबा 15-05 बीघा, मौजा पान्देसरा, खाता नं 121 रकबा 59-02 बीघा सरहद मौजा कोटाला पुरोहितान तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम छगना होने से राजस्व रेकर्ड में छगना पुत्र उम्मेदाराम दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड में वादी का नाम सक सिंह पुत्र उमेदसिंह दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। अतः राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज छगना के स्थान पर सक सिंह पुत्र उमेद सिंह सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:51:26 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालोतरा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेश सोनी

वादी — सक सिंह पुत्र उमेदसिंह

उनवान बनाम

प्रतिवादी — 1) बाबुसिंह पुत्र सुजानसिंह 2) मुकेश पुत्र उदयसिंह 3) तहसीलदार पचपदरा

दावा बाबत V/s 88 RTA

मुकदमा नम्बर :–

निर्णय दिनांक :– 29/10/2021

वादी की ओर से सक सिंह पुत्र उमेदसिंह की व प्रतिवादी की ओर से बाबुसिंह, मुकेश व उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29/10/2021 को श्री नरेश सोनी (नाम पीठासीन अधिकारी)...... उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – वादी का वाद स्वीकार कर मौजा चान्देसरा के खाता संख्या 117 रकबा 15-05 बीघा व मौजा बोराना पुरोहितान के खाता संख्या 121 रकबा 59-02 बीघा वाद ग्रस्त आराजी में वादी का नाम सगना पुत्र उम्मेदाराम के स्थान पर सकसिंह पुत्र उमेदसिंह घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर से व न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:51:26 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,.....

(SDO) बालोतरा